

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर
पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
धुनीदेवी पत्नी स्व. जयरामजी, जाति पुरोहित, निवासी जेतपुरा, हाल बडगांव, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर प्रकरण संख्या अपील राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विस्तृत निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर. एक्ट, प्रकरण संख्या 05/2019 धुनीदेवी बनाम सरकार		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर 41/2019

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोंडेन्ट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 05.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलाब किया गया। प्रकरण में बहम सुनी गई।

संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट भूमि के बारे में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह राजपुत ने श्रीमान जगत कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण भूचक्र में पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्दाज किया जिसका उम अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बी - मकान आबादी भूमि आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही अपीलान्ट भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे पपी कुर्तव जमान शामिल है। जागीर की कमीशनर महोदय ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) से करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः माननीय कमीशनर के न्यायालय में पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पडौस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजरदार प्राप्त नहीं होने से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आन्तरिक (जागीर) महोदय ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के बरत भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। उस निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरस्ती कर खसम नम्बर 791 में ओरण की बजाय गै.मु.आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि गै.मु. रेकॉर्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्ट ने आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तहसीलदार तहसीलदार भीनमाल ने ही किया है वहीं तहसीलदार इसी भूमि का ओरण की

मानकर बेदखली व जुर्माने का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :-

पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार सवन्त 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रुपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कामिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीश्नर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय परित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीश्नर के निर्णय की सूची व में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मौका पर जांच की, उस वक्त चक्की व मकान पाये गये लिखा है, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1958-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटो की बाड़ थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, लेकिन मौतबिरान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड़ जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने आवासीय मकानात है जागीरदार ने निर्णय भूमि के पडोस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 अ.एन.आर एक्ट को कार्यवाही ड्रॉप करने की बजाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमें से अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान 10 फीट रास्ता 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 40 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायतों से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी करते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बेचाननामा पंजीयन किया, उनमें भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए खल आफ एस्टापल्ल" के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि का आरण मानने से विबंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त को अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अन्तर्गत तरफ चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिकवक्ता की गैर हाजिरी में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिकवक्ता की उपास्थिति

दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उम्का भी निर्णय में हस्ताक्षर नहीं किया। जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उम्का भी उत्तर नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी.पी.सी के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई। उम्की दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकल व राजस्व मण्डल से पत्रव्यवस्था प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपाल दिनांक 21/10/2019 की पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायालय में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आवादी भूमि उनके जागीरी की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आवादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाईश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होती, इसलिये यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय अधिकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे है उन्होने कोई उत्तरदायी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूमना कर यमुन का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेन्ट ऑथरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में गांव के मुकाबले वृद्धि की है जिससे भी साबित है कि आवादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बंडगांव की मुख्य आवादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है इनमें उम् निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांत द्वारा अतिरिक्त विनिर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि भटवार हलका बडगांव द्वारा गैर सायल जयराम के विरुद्ध भोजा बडगांव को खसरा नंबर 791 रकबा 214.47 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 21/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश पत्र जारी जूमना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 41/2012 जयराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलान्त की अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 31/2012 जयराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निगरानी/एल.आर./1446/2015/जालोर जयराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014 जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के मध्य प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी जयराम पुत्र हिन्दुजी जाति पुरोहित साकिन जैतपुरा के कायम भूकम धुनीदेवी द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेसुध करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जमाना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाना है। जो बसूल हो। विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 05/2019 सरकार बनाम धुनीदेवी में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आजागी ग्राम बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 0.71 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस संबंध में बतौर अपीलान्त द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग अत्यर्द्ध भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। उप जिलाधीश (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है जो आबादी में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए इसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जयपुर राजस्व बंचान दस्तावेज के अपीलान्त को बची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा अपनी विजली के कनेक्शन भी लिये हुये है। अपीलार्थी विधिमन्मत वादग्रस्त आजागी पर कायम है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad

in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जाएगा जबकि इस प्रकरण में अपीलांत अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टि से आर.आर.टी. 2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एन.आर.एक्ट लागू नहीं होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है। तथा भू-खण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदमुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के किये उपधारा 1 - अधिकार अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने का उप-धरणा को जायेगी जब तक की विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये। इसी के परिणाम में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आवादी भूमि सिद्ध है। ओरग नहीं है। उसे अपीलांत साबित करने में सफल रहा है। क्योंकि प्रकरण संख्या 05/2019 सरकार बनाम धुनीदेवी की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन वही है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है। जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आवादी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। जबकि मौका स्थिति अनुसार आवादी भूमि है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांत को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1976 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांत द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पाठित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि व दत्त खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पेडाडी खुला जमात लिया हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिसको पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आवादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तर्क अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने में दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खर्ज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के विन्दुओं पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 214.47 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2068 में श्री जयराम पुत्र हिन्दुजी जाति पुरोहित निवासी जंतपुरा द्वारा साक्षर कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 21/2012 सरकार बनाम जयराम दर्ज कर गैर सायल जयराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलाश किया गया। पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर वाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पत्रित कर गैर

सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मोक्रे से बंदखल करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये में दंडित किया गया। निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 41/2012 जयराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 31/2012 जयराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलार्थी निर्णय बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1446/2015/जालोर जयराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निम्न क्रम प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वह इस कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी धुनीदेवी पत्नि जयराम जाति पुरोहित भाकिन जैतपुरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी के धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मोक्रे से बंदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगाने व 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाता है जो विमूल्य हो। विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के सुकदमा संख्या CS/2019 सरकार बनाम धुनीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जमीन कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 को आगे ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आबादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से ज़रिये वैकन दस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी जारी करना भी अपीलांत द्वारा कबल किया गया है। जबकि रेस्पोंडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से

सृजित हुये है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट में ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो रजिस्ट्रार में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। यह अवश्य उपलब्ध किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि हो चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकर्ड में दुरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु न्वतंत है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 05/2019 सरकार बनाम धुनीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से काम हो।

59

(महेश रंजित)

जिला कोर्ट, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

59

(महेश रंजित)

जिला कोर्ट, जालौर